मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

14/3/24: पत्रावलि प्रस्तुत हुई। पत्रावलि में आदेशिका दिनांक 13.02.2023 से अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया हुआ है।

प्रार्थीगणने प्रा.पः अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त अधि. इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थिया की दादालाई की पत्रिक आराजी रही है जो आराजी मिन प्रार्थिया के दादा धमन की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है, जो जर्ये विरासत मिन प्रार्थिया के पिता को प्राप्त हुई है तथा मिन प्रार्थिया के फौत होने पर आराजी मिन प्रार्थिया व अप्रार्थी सं० 1 व 2 को जरिये विरासत प्राप्त हुई है, तथा विवादित आराजी में मिन वादीया का 1/3 भाग में हक हकूक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित है इसलिए अप्रार्थीगण को ता. फैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा को कहीं रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल न करे, न ही मिन प्रार्थिया के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, न ही आराजी पर जबरन कब्जा करे व ना ही प्रार्थीया को आराजी से बेदखल करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से इस आशय का जवाब प्रा.प. प्रस्तुत हुआ कि आराजी मुतनाजा दादा भगवान की स्वअर्जित आराजी थी जिसे हस्तान्तरण का पूर्ण अधिकार था इसलिए दादा भगवान ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से आराजी की वसीयत हम अप्रार्थीगण के नाम सन 1993 में तहरीर व तस्दीक कर दी थी जो कि दादा की फौतगी पर वसीयत के आधार पर बिना किसी [illegible] हम अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम नामा. सं. 763 से दर्ज व मंजूर हो गयी अब प्रार्थिया का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है प्रार्थिया गैरकाबिज व गैरमालिक व्यक्ति होने से हम अप्रार्थी काबिज काश्तकार व रिकॉर्ड खातेदार को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है अत: प्रार्थिया का प्रा.प. मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दौरान बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा.प. के तथ्यों को दोहराया एवं प्रमुख रूप से कथन किया कि वादी इसका नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदार के रूप में दर्ज है एवं कब्जा काश्त है। आराजी मुतनाजा दादालाई न होकर स्वअर्जित सम्पत्ति रही है जो उन्हें जरिये वसीयत बिलिहाज प्राप्त हुई है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण उनके हितों पर दुष्प्रभाव हो रहा है कि वे इस पर ऋण लेने की कार्यवाही नहीं कर पा रहे तथा इस बात से आशंकित रहते हैं कि अत्यन्त घरेलू आवश्यकता आने पर इस आराजी का बेचान भी नहीं कर सकेंगे।

इस प्रकार पत्रावलि का अवलोकन/अध्ययन किया बहस पर मनन किया। इसके उपरान्त यह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
[illegible] (खैरथल-तिजारा)

या इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण इस प्रकार का कोई प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है कि किसी भी प्रकार से प्रथमदृष्ट्या दादालाई होने के कथन की पुष्टि करता हो। प्रा०प० प्रस्तुत होने के इतना समय व्यतीत होने के पश्चात आज बहस के स्तर पर आकर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय चाहना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को अतिक्रमी होना तथा उन्हें जरिये वसीयत मालिक होना वर्णित किया है। जमाबन्दी में अप्रार्थीगण का नाम होना उन्हें फिलहाल रिकॉर्डेड खातेदार स्पष्ट करता है। और रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध प्रमाणिक साक्ष्य/दस्तावेज के बिना उस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों घटक अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है।

अतः इस न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 13.02.2023 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधि० खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/5/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावलि फैसल शुमार होकर बाद तकमील सलंग्न मूल वाद रहे।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डवा (जिला-नागौर)

34